प्रारूप– तीन

समाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन

(नियम 23 देखिये)

1. परियोजना क्षेत्र की जनसांख्यिकी का विवरण –

(क)	कुल जनसंख्या	(एक) पुरूष 1346	(दो) महिला 1520
(ख)	बच्चों की जनसंख्या	(एक) पुरूष 115	(दो) महिला 116
(ग)	जातिवार जनसंख्या	(एक) अ.ज.जा. 2014	(दो) ज.जा. 108
		(तीन) अ.पि.व. 685	(चार) अन्य
(घ)	धर्मवार जनसंख्या	(एक) हिन्दू 2866	(दो) मुस्लिम
		(तीन) सिक्ख	(चार) ईसाई
		(पांच) बौद्ध	(छ.) अन्य

2. गरीबी रेखा के नीचे की परिवारों की संख्या 439
3. वृद्धावस्था पेंशनरों की संख्या 122
4. निराश्रित पेंशनरों की संख्या 08
5. निरक्षर पुरुष एवं महिलाओं की संख्या
6. सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन
7. प्रशासनिक संगठन नहीं हैं
8. राजनीतिक संगठन — है।
9. सिविल सोसाइटी संगठन एवं सामाजिक सदस्य
10. भूमि का उपयोग– (एक) कृषि भूमि हे.
    (दो) पड़त भूमि हे.
    (तीन) सिंचित एक फसली भूमि हे.
    (चार) सिंचित दुफसली भूमि हे.
    (पांच) असिंचित भूमि हे.

11. जोत का आकार– (एक) लघु कृषकों की संख्या

(दो) सीमांत कृशकों की संख्या

(तीन) कुल खातों की संख्या

(चार) भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या 10

(पांच) वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिकार धारण करने वाले व्यक्तियों की संख्या (तीन वर्ष या उससे पूर्व निवासरत् की संख्या पृथक से दी जाये)

12. पशुधन– (एक) पशुधन की संख्या

(दो) दुधारू पशुधन की संख्या

13. प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कार्य एवं रोजगार

14. पलायन निरंक

15. रोजगार में महिलाओं की भागीदारी है

16. खाद्य सुरक्षा है

17. अन्य स्थानीय रोजगार –

18. मजदूरी दर 205

19. ऋण तक पहुंच —

20. परिवहन एवं सड़क सड़क निर्मित

21. सिंचाई – बोर

22. बाजार तक पहुंच सड़क

23. पर्यटन स्थल नहीं

24. सहकारी संस्थाएं सहकारी बैंक सरोना

25. रहन–सहन –

(एक) धारणाएं, सौंदर्यप्रक्तता मोह एवं अभिलाषा बुढ़ादेव, आदिवासी जीवनशैली

(दो) गृह कच्चा एवं पक्का मकान

(तीन) सामुदायिक एवं सिविल स्थान रंगमंच भवन

(चार) धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल — सांस्कृतिक भवन

(पांच) भौतिक अधोसंरचना (यथा जलआपूर्ति, सीवरेज सिस्टम इत्यादि) — नल–जल योजना

(छः) लोक सेवा अधोसंरचना (यथा विद्यालय, स्वास्थय सुविधाएं, आंगनबाड़ी, लोक वितरण सिस्टम इत्यादि) — स्कूल, आंगनबाड़ी, लोक सेवा केन्द्र

(सात) सुरक्षा, अपराध एवं हिंसा। ....

महत्त्वपूर्ण समाघात क्षेत्र

1. भूमि, जीविका और आय पर समाघात–

(क) रोजगार के स्तर और प्रकार — रोजगार गारंटी

(ख) अंतरीय परिवार रोजगार के तरीके — ....

(ग) आय के स्तर — मध्यम

(घ) खाद्य सुरक्षा — सामान्य

(ङ.) जीवन निर्वाह का स्तर — सामान्य

(च) उत्पादक संसाधनों तक पहुंच और नियंत्रण — पहुच नियंत्रित

(छ) जीविका के विकल्पों तक महिलाओं की पहुंच — स्वसहायता समूह

2. भौतिक संसाधनों पर समाघात–

(क) प्राकृतिक संसाधनों (यथा मिट्टी, वायु, जल, वन) पर समाघात

(ख) जीविका के लिए भूमि एवं सार्वजनिक संपत्ति, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव

3. निजी संपत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर समाघात–

(क) विद्यमान स्वास्थय एवं शिक्षा सुविधाओं की क्षमता — उपलब्ध

(ख) गृह सुविधाओं की क्षमता — उपलब्ध

(ग) स्थानीय सेवाओं की पूर्ति पर दबाव

(घ) बिजली व जल पूर्ति की पर्याप्ता, सड़के, सफाई व कचरा प्रबंधन प्रणाली

(ङ.) निजी संपत्तियों जैसे बोरवेल इत्यादि पर समाघात —

4. स्वास्थ्य समाघात–

(क) महिलाओं के स्वास्थ्य पर समाघात – जांच समय पर होता है।

(ख) वृद्धजनों के स्वास्थय परप समाघात – जांच समय पर होता है।

5. सांस्कृतिक तथा सामाजिक स्थितियों पर समाघात–

(क) स्थानीय राजनीतिक संरचना का रूपान्तरण– राजनीतिक दल के विधायक है।

(ख) जनसांख्यिकी परिवर्तन – नहीं हो रहा है।

(ग) आर्थिक, पारिस्थिकी संतुलन में परिवर्तन– कृषि पर आधारित

(घ) मापदण्ड, विश्वास, मूल्यों एवं सांस्कृतिक जीवन पर समाघात– सही है

(ड.) अपराध एवं अवैध क्रियाकलाप – नहीं हैं

(च) विस्थापन का तनाव – कुछ नहीं

(छ) संयुक्त परिवारों के विखण्डन का समाघात

6. चक्रीय परियोजना के विभिन्न चरणों पर समाघात–

(क) पूर्व–संन्निर्माण चरण– कोई समस्या नहीं

(ख) संन्निर्माण चरण– कोई समस्या नही

(ग) प्रवर्तन चरण– परिवर्तित मार्ग का प्रावधान है।

(घ) कार्य से हटाने वाला चरण– आवश्यकता नहीं

(ड.) प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष समाघात– नहीं।

(च) संचित समाघात (प्रश्न में परियोजना के चिन्हाकिंत समाधात क्षेत्रों को मिलाकर अन्य परियोजना के समाघात)

रतिराम मरकाम
गैर शा.सा. वैज्ञानिक
येरबेड़ा सिकागांव

शंकर लाल मंडावी
स्था. निकायों के प्रतिनिधि
ग्राम लिहागांव

बिरन नेताम
गैर शा.सा. वैज्ञानिक
सरपंच, लिहागांव

रामेश्वर सिंह सिरदार
पुर्नव्यवस्थापन विशेषज्ञ
से.नि. डिप्टी कलेक्टर

एम.के. ठाकुर
परि. से संबंधित विषय का
तकनीकी विशेषज्ञ
उपअभियंता, लो.नि.वि.

सुशील कुमार ओड़े
संयोजक
तहसीलदार, बड़ेराजपुर

प्रारूप–चार

	विषय–वस्तु		
	(क)	परियोजना और लोक प्रयोजन	लिहागांव–बांसकोट मार्ग,कि.मी. 2/10 भंवरडीग नदी पर सेतु निर्माण कार्य।
	(ख)	स्थान,	लिहागांव–बांसकोट
	(ग)	भूमि अर्जन का आकार और विशेषता	0.704 हेक्टेयर
	(घ)	अनुकल्पों पर विचार	किया गया पर कोई बेहतर विकल्प नही
	(ड.)	सामाजिक समाघात	लाभ की तुलना में ना के बराबर
	(च)	कमी करने के उपाय	समाघात प्रतिपूर्ति के लिए व्यय
	(छ)	सामाजिक लागत और फायदों का निर्धारण जिससे शिक्षा व्यापार एवं कृषि मे वृद्धि	सेतु से शिक्षा व्यापार व कृषि में वृद्धि होगी
परियोजना के विवरण का ब्यौरा	(क)	परियोजना के पृष्ठीभूमि जिसके अंतर्गत विकासकर्ता की पृष्ठीभूमि और शासन या प्रबंधन संरचना सहित	शासन द्वारा मुख्य बजट में स्वीकृत कार्य सेतुमय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु
	(ख)	परियोजना का मूलाधार, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 में परियोजना किस तरह लोक प्रयोजन के लिए उपयुक्त है, सूचीबद्ध मापदण्डो सहित।	सेतु से आवागतन सुविधा व्यापार कृषि के स्तर में वृद्धि होगी
	(ग)	परियोजना के आधार अवस्थान क्षमता उत्पादन, लक्ष्य, लागत, जोखिम का ब्यौरा	जोखिम नही
	(घ)	अनुकल्पों की परीक्षा	अन्य कोई बेहतर विकल्प नही
	(ड.)	परियोजनाओं के सन्निमग्रण की अवस्थाएं	सेतु निर्माण धीन है
	(च)	मूल डिजाईन की विशिष्टयों और सुविधाओं का आकार और प्रकार	निरंक
	(छ)	सहायक अधोसरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता	नही
	(ज)	कार्यबल अपेक्षाएं (अस्थाई और स्थाई)	आवश्यक नहीं
	(झ)	सामाजिक समाघात निर्धारण या पर्यावरण समाघात निर्धारण का ब्यौरा यदि पहले से किया गया है और तकनीकी साध्यता रिपोर्ट	नही
	(ञ)	लागू किये गये विधान और नीतियां	सामाजिक समाघात निर्धारण नियम 2016
दल की संरचना दृष्टिकोण प्रणाली और सामाजिक समाघात निर्धारण की अनुसूची	(क)	दल की सभी सदस्यों की अर्हता सहित सूची दल लिंग, विशेषज्ञों सहित	पृथक से सलग्न
	(ख)	सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु सूचना संग्रहण के लिए प्रयोग में आने वाली प्रणाली का विवरण और मूलाधार तथा साधन	स्थल निरीक्षण स्थानीय पुछताछ एवं जनसुनवाई द्वारा
	(ग)	नमूना प्रणाली का उपयोग	नही किया गया है
	(घ)	सूचना अथवा डाटा स्रोतो के प्रयोग का पर्यावलोकन (विस्तृत निर्देशों का पृथक रूप से प्रारूपों में सम्मिलित करें।	आवश्कता नही है
	(ड.)	प्रमुख प्रणधारियों के साथ परामर्श और की गई लोक सुनवाईयों के संक्षिप्त विवरण की अनुसूची (लोक सुनवाईयों के ब्यौरे और विनिदिष्ठ पुनर्निवेशन को रिपोर्ट में रखकर प्रारूपों में सम्मिलित किया जाना चाहिए।)	प्रारूप दो में सहमति संलग्न है

	(क)	भूमि तालिका की सूचना और प्राथमिक स्त्रोत–नक्शों की सहायता से वर्णन करें।	पृथक से सलग्न है
	(ख)	परियोजना के प्रभाव के अधीन पूर्ण संघटन क्षेत्र (अर्जन के लिए भूमि क्षेत्र तक सीमित नहीं है)	स्थल निरीक्षण स्थानीय पूछताछ एवं जन सुनवाई द्वारा
	(ग)	परियोजना के लिए कुल अपेक्षित भूमि	0.704 हेक्टेयर
	(घ)	वर्तमान में किसी सार्वजनिक अनुपयोग भूमि जो कि परियोजना क्षेत्र के आसपास है का उपयोग	सार्वजनिक निस्तार हेतु
	(ङ.)	भूमि (यदि कोई हो) पहले से ही क्रय की गई, अन्य संक्रमित पट्टे पर या अर्जित है और परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के प्रत्येक प्लाट का उपयोग।	निरंक
	(च)	परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का परिमाण और स्थान	तोसकापाल में 0.704 हेक्टेयर (निर्माणधीन सेतुमय पहुंच मार्ग)
	(छ)	भूमि की प्रकृति वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण तथा यदि कृषि भूमि हो तो सिंचाई क्षेत्र और फसल क्रम	सिंचित
	(ज)	धारित भूमि का आकार स्वामित्व कम भूमि वितरण और आवासीय सदना की संख्या	0.704 हेक्टेयर भूमि स्वामी हक में धारित आवासीय सदस्य संख्या निरंक
	(झ)	भूमि की कीमत और स्वामित्व में नए परिवर्तन पिछले 3 वर्षो से भूमि का अंतरण और उपयोग	कृषि प्रयोजनार्थ
प्रभावित परिवारों एवं संपत्तियों (जहां अपेक्षित हो का प्राक्कलन और प्रगणन)		निम्नलिखित प्रकार के परिवारों का प्राक्कलन इस प्रकार से है।	
	(क)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित (स्वयं की भूमि जो कि अर्जन के लिए प्रस्तावित है।	15
	(एक)	किराएदार है अथवा अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि के अधिभोगी है।	कोई नही
	(दो)	अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन्य निवासी जिनके किसी भी वन्य अधिकार की हानि हुई है।	नही
	(तीन)	सामान्य भूमि स्त्रोतों पर आश्रित जो कि उनकी जीविका की भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित होगी।	नही
	(चार)	समुचित सरकार द्वारा अपनी किसी स्कीम के अधीन भूमि सौंपी गई है और इस तरह की भूमि अर्जन के अधीन है।	नही
	(पांच)	भूमि अर्जन से पूर्व शहरी क्षेत्रों की किसी भूमि में पिछले तीन वर्षो से जीविका का प्राथमिक स्त्रोत है पर आश्रित है।	नही
	(छः)	अर्जन से पूर्व भूमि जो कि पिछले तीन वर्षो से जीविका का प्राथमिक स्त्रोत है पर आश्रित है।	नही
			नही
	(ख)	परियोजना द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नही है।	नही
	(ग)	उत्पादक आस्तियों और महत्तपूर्ण भूमियों की तालिका	नही

सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पार्श्वदृश्य (प्रभावित क्षेत्र और पुनर्वासन)	(क)	प्रभावित क्षेत्र में जनसंख्या का जनसांख्यिकी ब्यौरा	प्रारूप 3 संलग्न
	(ख)	आय एवं गरीबी स्तर	प्रारूप 3 संलग्न
	(ग)	दुर्बल समूह	नही
	(घ)	भूमि उपयोग और जीविका	कृषि एवं कृषि मजदूरी
	(ङ.)	स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप	वनोपज संग्रहण
	(च)	कारक जिनका स्थानीय जीविका में योगदान है।	भूमि एवं वन उत्पाद
	(छ)	नातेदारी क्रम तथा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन	जनजातिय एवं पारिवारिक व्यवस्था
	(ज)	प्रशासनिक संगठन	छ.ग. शासन
	(झ)	राजनैतिक संगठन	ग्राम पंचायत
	(ञ)	समुदाय–आधारित और सिविल सोसायटी संगठन	जाति सामाजिक संगठन
	(ट)	क्षेत्रीय सक्रियता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएं	निरंक
	(ठ)	जीवन पर्यावरण की गुणवत्ता	अच्छी
सामाजिक समाघात	(क)	पहचान में आये समाघातों के लिए कार्य ढांचा और दृष्टिकोण	कोई नही
	(ख)	परियोजना चक्र के विभिन्न स्तरों पर समाघातों का विवरण, जैसे स्वास्थ्य तथा जीविका और संस्कृति प्रत्येक प्रकार के समाघात पृथक अथवा अप्रत्यक्ष समाघात है। प्रभावित परिवारों के विभिन्न वर्गो पर भेददर्शक समाघात और जहां लागे हो आंकलित समाघात।	कोई नही
	(ग)	समाघात क्षेत्रों की सूचक सूची में सम्मिलित है भूमि, जीविका और आय, भौतिक संसाधन, निजी आस्तियां, लोक सेवाओं और उपयोगिताऔं स्वास्थ्य, संस्कृति और सामाजिक संबंध तथा लिंग आधारित समाघात।	कोई नही
लागतों और फायदों का विश्लेषण और अर्जन पर सिफारिश	(क)	लोक प्रयोजन का निर्धारण, निम्न–विस्थापित अनुकल्प तथा भूमि की न्यूनतम अपेक्षाएं, सामाजिक समाघात की प्रकृति और गहनता शासन के उपायों की व्यवहार्यता और प्रतिकूल सामाजिक लागतों की व्याख्या के समाधान के बारे में अंतिम निष्कर्ष।	प्रस्तावित अर्जन लोक हित में है भू–अर्जन से क्षति न्यूनतम होगी सेतु से आवागमन सुविधा शिक्षा कृषि व्यापार का स्तर बढ़ेगा
	(ख)	उपरोक्त विश्लेषण नियम में वर्णित साम्या सिद्धांत का अंतिम सिफारिश प्रस्तुत करने पर कि क्या अर्जन होनो चाहिए या नहो विश्लेषण की कसौटी के रूप में उपयोग किया जायेगा।	अतः अर्जन किया जाना चाहिए
निर्देश एवं प्रारूप		निर्देश एवं आगे सूचना हेतु	

रतिराम मरकाम
गैर शा.सा. वैज्ञानिक
वेरबेड़ा सिकागांव

शंकर लाल मंडावी
स्था. निकायों के प्रतिनिधि
ग्राम लिहागांव

बिरन नेताम
गैर शा.सा. वैज्ञानिक
सरपंच, लिहागांव

रामेश्वर सिंह सिरदार
पुर्नव्यवस्थापन विशेषज्ञ
से.नि. डिप्टी कलेक्टर

एम.के. ठाकुर
परि. से संबंधित विषय का
तकनीकी विशेषज्ञ
उपअभियंता, लो.नि.वि.

सुशील कुमार
संयोजक
तहसीलदार, बड़ेराजपुर

Scanned with OKEN Scanner